

प्रेसनोट दिनांक 19.06.2024

- दिनांक 18.06.2024 को वादी उ०नि० श्री संदीप कुमार थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सरफराज सिंह पुत्र हरिहर सिंह नि० तिहुरा मांझा थाना को०अयोध्या अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 335/24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 18.06.2024 को वादी उ०नि० श्री आशीष कुमार सिंह थाना को०अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि श्रवण मांझी पुत्र पारस मांझी नि० तिहुरा मांझा थाना को०अयोध्या अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 336/24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 18.06.2024 को वादी श्री पंकज कुमार सिंह प्र०नि० रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. नौशाद अली पुत्र निसार फकीर, 2. बब्बीर पुत्र अशोक नट, 3. रमजान पुत्र जुगनू 4. अमलेश उर्फ कमलेश पुत्र फतई नट, 5. किशोरीलाल उर्फ किशोर पुत्र छिम्मी लाल नट नि०गण ग्राम शेखपुर जाफर थाना रौनाही जनपद अयोध्या। सभी पूर्व से जेल अभि०गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं का वध कर गोमांस की तस्करी करने जैसा जघन्य अपराध कारित कर समाज मे भय उत्पन्न करना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 303/24 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 18.06.2024 को वादी उ०नि० श्री मुन्नीलाल चौधरी थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सूर्य श्याम पुत्र जयपाल नि० नारायणपुर थाना तारुन अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 201/24 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 18.06.2024 को वादी उ०नि० श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि हरि प्रसाद पुत्र सवईराम नि० चमरी का पुरवा थाना खण्डासा अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 137/24 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।